

"सार्वजनिक सूचना"

रेलवे एवं परिसरों के सभी उपभोक्ताओं को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि रेलवे के निम्नलिखित खंड पर 25000 वोल्ट, 50 हर्ट्ज ए. सी. सिरोपरि कर्षण तारों को खंड के सामने विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके बाद में ऊर्जित किया जाएगा। उस तारीख को और उस तारीख से सिरोपरि कर्षण लाइन को सभी समय हमेशा के लिए विद्युतीकृत माना जाएगा और कोई भी अनधिकृत व्यक्ति उस सिरोपरि लाइन के समीप दाखिल होने या काम करने नहीं जाएगा।

सेक्शन (खंड)	मण्डल (डिवीजन)	दिनांक
लखनऊ मंडल, उत्तर रेलवे के अंतर्गत शाहगंज स्टेशन पर लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 का विद्युतीकरण— स्थान: किमी SHG/61A एवं SHG/62A (चेनज 863/941.000) से किमी SHG/1032 (चेनज 862/460.000) तक, संबद्ध टर्नआउट एवं क्रॉसओवर सहित	लखनऊ	20.01.2026

उत्तर रेलवे

के वी ट्रैक्शन लाइन का आरंभ 25 सड़क "उपयोगकर्ताओं हेतु अधिसूचना"
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि रेल खंड "लखनऊ मण्डल, उत्तर रेलवे के अंतर्गत शाहगंज स्टेशन पर लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 का विद्युतीकरण-स्थान: किमी SHG/61A एवं SHG/62A (चेनज 863/941.000) से किमी SHG/1032 (चेनज 862/460.000) तक, संबद्ध टर्नआउट एवं क्रॉसओवर सहित" पर 25 केवी विद्युत ट्रैक्शन का शुभारंभ किया जाएगा। सभी समपार फाटक हाइट गेज़ का निर्माण सड़क की सतह से स्पष्ट अधिकतम ऊंचाई **4.78 मीटर** पर अत्यधिक ऊंचाई भारो को ट्रैक्शन लाइन (कांटेक्ट तार), जो की समपार फाटक पर रेल लेवल **5.5 मीटर न्यूनतम ऊंचाई** पर हो, के खतरनाक संपर्क में आने से बचाव के उद्देश्य से किया गया है।

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारित वाहनों के लिए उपर्युक्त निर्धारित ऊंचाई का अवलोकन करें तथा यह भी ध्यान रखें कि सड़क वाहनों में लदा हुआ भार हाइट गेज़ में किसी भी परिस्थिति में न टकराए।

अधिक ऊँचे भार से निम्न खतरे हैं:-

1. हाइट गेज़ को नुकसान और तत्पश्चात सड़क व रेल लाइन का अवरोध।
2. स्वयं वाहन अथवा ले जाये जाने वाले सामान अथवा उपकरण को खतरा।
3. बिजली के तारों से संपर्क अथवा खतरनाक समीपता के कारण आग फैलने व जान माल को खतरा।